दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथि: 16.02.2024</u>

<u>आप.वि.सि. 5884/2022 और आप.वि.अ. 23086/2022</u>

विजेंद्र नाथ गुप्ता .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री हर्ष खन्ना, श्री विवेक जैन, श्री संदीप खन्ना, सुश्री आस्था तिवारी, सुश्री तुलसी मुखी,श्रीराज कुमार गोयल, अधिवक्तागण

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सहा.उप.नि. मुकेश कुमार के साथ श्री शोएब हैदर,अति.लो.अभि. श्री अनुराग जैन, प्र.-2 के लिए अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला

<u>नवीन चावला, न्या. (मौखिक)</u>

1. यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.') की धारा 482 के तहत दायर की गई है, आपराधिक पुनरीक्षण सं. 246/2022 शीर्षक ***विजेंदर नाथ गुप्ता बनाम राज्य और अन्य*** में, विद्वान विशेष न्यायाधीश, (एनडीपीएस) 02/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (मध्य-जिला), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (इसके पश्चात 'पुनरीक्षण न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 28.09.2022 (इसके पश्चात

'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 397 के तहत दायर पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी।

2. याचिकाकर्ता द्वारा उक्त पुनरीक्षण याचिका दिनांक 02.04.2022 को विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट-05 (एन.आई. अधिनियम), केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (इसके पश्चात 'महानगर मजिस्ट्रेट' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में, 'एन.आई. एक्ट') की धारा 138 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत मामला सं. 533060/2016, जिसका शीर्षक ***एस. रघबीर सिंह बनाम विजेंद्र नाथ गुप्ता*** है, में चुनौती दी गई थी ।

3. उपरोक्त आदेश विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत दायर आवेदन पर प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत में अंतिम तर्कों के साथ विचार किया जाएगा और उस पर निर्णय उक्त शिकायत मामले में निर्णय के साथ या उसके बाद दिया जाएगा।

4. वर्तमान याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी ने उपरोक्त शिकायत दायर की है, जिसमें प्रस्तुत किया गया है कि उसने याचिकाकर्ता को 1 करोड़ रुपये का अनुकूल ऋण दिया था, जिसने उसी के

निर्वहन में 1 करोड़ रुपये की राशि का चेक जारी किया है। प्रस्तुति पर चेक असंदत्त वापिस कर दिया गया था।

5. प्रत्यर्थी से प्रतिपरीक्षा के दौरान, उससे ऋण के लिए निधि के स्रोत के बारे में पूछा गया था। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि उनके और श्री संजीव चौहान नामक एक खरीदार के बीच दिनांक 29.08.2012 (प्र.न्या.सा.1-प्रति./3) को विक्रय समझौता हुआ था। उन्होंने कहा कि खरीदार श्री संजीव चौहान ने प्रत्यर्थी को संपत्ति के विक्रय के लिए अग्रिम धनराशि के रूप में उक्त धनराशि दी थी।

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त विक्रय समझौता एक कूटरचित और मनगढ़ंत दस्तावेज है, विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता का यह मामला था कि उक्त विक्रय समझौता एक स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया है जिसे समझौते की तिथि के लगभग एक साल बाद बेचा गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस याचिका के समर्थन में साक्ष्य भी विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए गए हैं।

7. याचिकाकर्ता ने तब जोर देकर कहा कि दं.सं.प्र. की धारा 340 के तहत उसके आवेदन पर प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत के अंतिम न्यायनिर्णयन से पहले विचार किया जाए और निर्णय लिया जाए। हालाँकि, उक्त प्रार्थना को विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट ने दिनांक 02.04.2022 के आदेश के माध्यम से

खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के आवेदन को अंतिम तर्क के साथ सुनना अधिक उपयुक्त होगा ताकि न्यायालय निर्णय लेने की बेहतर स्थिति में हो यदि *प्रत्यक्षतः* गैर-आवेदक/शिकायतकर्ता के खिलाफ मामला बनाया जाता है और न्याय प्रशासन पर कथित कूटरचित और मनगढ़ंत दस्तावेज के प्रभाव का न्याय करने के लिए मामला बनाया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> *".....इस प्रकार, इस न्यायालय का मानना है कि आवेदन पर बहस के साथ-साथ दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत प्रारंभिक जांच, यदि कोई हो, अंतिम बहस के साथ आयोजित की जाएगी और उस पर निर्णय फैसले के साथ या उसके बाद दिया जाएगा.....*

8. उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने दं.प्र.सं. की धारा 397 के तहत एक याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***इकबाल सिंह मारवाह बनाम मीनाक्षी मारवाह***, (2005) 4 एससीसी 370 में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने में देरी याचिकाकर्ता के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेगी।

10. मैं उक्त प्रस्तुति से सहमत नहीं हो पा रहा हूं।

11. ***इकबाल सिंह मारवाह*** (पूर्वोक्त) में, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ ने दोहराया है कि आम तौर पर दं.प्र.सं. की धारा 340 के तहत आवेदन पर उस चरण में फैसला किया जाता है जब कार्यवाही समाप्त हो जाती है और अंतिम निर्णय दिया जाता है। वास्तव में, न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 195 (1)(ख) में निर्दिष्ट अपराध के कमीशन के बारे में शिकायत करने के लिए बाध्य नहीं है। यह ऐसी शिकायत दर्ज करने का निर्देश देगा जहां न्यायालय न्याय प्रशासन पर अपराध के ऐसे कमीशन का परिणाम या प्रभाव पाता है। यह हर मामले में नहीं होगा कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि यह समीचीन है और न्याय के हित में है कि इस तरह की जांच की जानी चाहिए। यदि संबंधित न्यायालय का विचार है कि दूषित सामग्री/साक्ष्य महत्वहीन हैं और इसका मुद्दों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 340 और धारा 195 के तहत आगे नहीं बढ़ने के लिए उचित समझ सकती है और मामले के तथ्यों के आधार पर, दोषी पक्षकार पर किसी प्रकार का भर्त्सना या जुर्माना लगाने या लागू करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकती है। मैं निर्णय से निम्नानुसार उद्धृत कर सकता हूं:

> ***"23.*** *दं.प्र.सं. की धारा 340 में उपयोग की गई भाषा के मद्देनजर, न्यायालय धारा 195 (1)(ख) में निर्दिष्ट अपराध के कमीशन के बारे में शिकायत करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यह धारा "अदालत की राय है कि यह न्याय के हित में समीचीन है" शब्दों से अनुकूलित है। इससे पता चलता है कि इस तरह का रास्ता तभी अपनाया जाएगा जब न्याय के हित की जरूरत होगी और*

हर मामले में नहीं। शिकायत दर्ज करने से पहले, न्यायालय प्रारंभिक जांच कर सकता है और इस आशय का निष्कर्ष दर्ज कर सकता है कि यह न्याय के हित में समीचीन है कि धारा 195 (1)(ख) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध की जांच की जानी चाहिए। इस समीचीनता का निर्णय सामान्यतः न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कूटरचित दस्तावेज या जालीसाजी से प्रभावित व्यक्ति को हुई क्षति के पैमाने का मूल्यांकन करके नहीं किया जाएगा, बल्कि न्याय प्रशासन पर ऐसे अपराध के परिणाम या प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यह संभव है कि इस तरह के कूटरचित दस्तावेज या जालसाजी से किसी व्यक्ति को इस अर्थ में बहुत गंभीर या सारवान क्षति हो सकती है कि यह उसे बहुत मूल्यवान संपत्ति या स्थिति या इसी तरह से वंचित कर सकता है, लेकिन ऐसा दस्तावेज न्यायालय में साक्ष्य में पेश या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का एक हिस्सा हो सकता है, जहां भारी-भरकम साक्ष्य पेश किए गए हों और इस तरह के साक्ष्य का प्रभाव न्याय प्रशासन न्यूनतम हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय शिकायत करने के लिए न्याय के हित में इसे समीचीन नहीं मान सकती है। खंड (ख)(ii) का व्यापक दृष्टिकोण, जैसा कि अपीलकर्तागण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचारित किया गया है, इस तरह के जालसाजी या कूटरचित दस्तावेज के शिकार को उपचारहीन बना देगा। कोई भी व्याख्या जो ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहां अपराध का शिकार व्यक्ति उपचारहीन हो जाता है, उसे त्यक्त करना होगा।

24. *एक और विचार है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। दं.प्र.सं. की धारा 340 की उप-धारा (1) प्रारंभिक जांच करने पर अनुध्यात करती है। आम तौर पर, न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिकायत दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जाता है और यह उस चरण में*

किया जाता है जब कार्यवाही समाप्त हो जाती है और अंतिम निर्णय दिया जाता है.....

(जोर दिया गया)

12. वर्तमान मामले में, यह मुद्दा कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समझौता कूटरचित और मनगढ़ंत है, और इसका न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, आवश्यक रूप से प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत मामले के अंतिम निर्णय के साथ विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जाना चाहिए। यदि उक्त दस्तावेज कूटरचित या मनगढ़ंत पाया जाता है और न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है, तो विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी।

13. उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है।

14. लंबित आवेदन का भी निष्फल होने के कारण निपटारा किया जाता है।

15. *दस्ती*

नवीन चावला, न्या.

16 फरवरी, 2024/आर्य/एसएस

शुद्धिपत्र की जांच के लिए यहां क्लिक करें, यदि कोई हो

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*